



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-43/2018
दिनांक : 14.09.2018

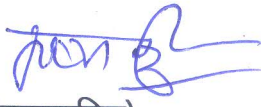
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की निम्नांकित 05 छात्राओं के विरुद्ध रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज Cr. P.C. 154 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 143, 147, 149, 312 और 323 के अंतर्गत दर्ज केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण के संबंध में विधिसम्मत निर्णय आने तक कार्यालय आदेश संख्या 003/2003/का.आ./02-36/2018 दिनांक : 06.07.2018 के माध्यम से निलंबित किया गया था :

1. सुश्री ललिता हेतराम, बी.एड.-एम.एड.(एकीकृत), शिक्षा विभाग
2. सुश्री आरती कुमारी, पीएच.डी. शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग
3. सुश्री कीर्ति शर्मा, पीएच.डी. शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग
4. सुश्री शिल्पा भगत, पीएच.डी. शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग
5. सुश्री विजयलक्ष्मी सिंह, पीएच.डी. शोधार्थी, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

पुलिस स्टेशन, रामनगर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1600/18 दिनांक 10.09.2018 के माध्यम से सुश्री आरती कुमारी, सुश्री विजयलक्ष्मी सिंह, सुश्री कीर्ति शर्मा और सुश्री शिल्पा भगत को जांच उपरांत दर्ज अपराध में उनका सहभाग नहीं होने के कारण उन्हें मुक्त किया गया है। पुलिस स्टेशन से प्राप्त पत्र के आलोक में पाँच में से उपर्युक्त चार छात्राओं का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।


(कुलसचिव)

प्रति : उपर्युक्त सभी संबंधित छात्राएँ

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
4. विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
5. विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
6. कुलानुशासक
7. परीक्षा प्रभारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
8. छात्रावास अधीक्षक, सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास
9. प्रभारी, अकादमिक विभाग
10. विश्वविद्यालय वेबसाइट